कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक–1868

सेवा में,

प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार एवं सभी शिक्षक,
उत्क्रमित मध्य विद्यालय जुरवनपुर बरारी बलुआ टोक,
प्रखंड–राघोपुर, जिला– वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक–22/08/26

विषयः– स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF717621।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक शिकायत के आलोक में कार्यालय द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विद्यालय का सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय में कुल 398 नामांकन है जिसमें आज दिनांक 22.08.2026 को 300 छात्र उपस्थित थे परंतु वास्तविक भौतिक उपस्थिति शून्य पाई गई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार का पिछले एक वर्ष की ई–शिक्षाकोष पोर्टल से उपस्थिति का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि श्री संजय कुमार वास्तविक रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालय में भौतिक उपस्थिति शून्य रहती है तथा बिना कार्य किए ही सभी शिक्षक वेतन ले रहे हैं एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्यान भोजन राशि का गबन कर रहे हैं।

उक्त के आलोक में विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। साथ ही आप सभी को निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अपना साक्ष्य रहित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें कि क्यों नही आपके इस कृत्य के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए? अन्यथा की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक से आज तक निकासी की गई मध्यान भोजन की सभी राशि वापस वसूल की जाएगी एवं आप सभी को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

विश्वासभाजन

22-8-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

22/8/26

ज्ञापांकः–1868 हाजीपुर दिनांकः–22/08/26

प्रतिलिपिः–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राघोपुर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22-8-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

22/8/26